

**कार्यालय,आयुक्त,उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश शासन,
सतपुडा भवन,पॉचवीं मन्जिल,ए-बी विंग,भोपाल-462004**

—:: आदेश ::—

भोपाल, दिनांक—३० / 04 / 2017.

क्रमांक— १३४। / १३/आउशि/सम्बद्धता/१७ : महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017-18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण—पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,इन्डौर से सम्बद्ध संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय/समिति) के द्वारा प्रस्तुत /विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण—पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक – ५८०/९९९/आउशि/सम्बद्धता/१७ दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरुद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ, जिसे इस कार्यालय के आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा निराकृत किया गया। अतः संस्था द्वारा राशि रूपये 35,000/- के चालान सहित द्वितीय 'रिव्यू' प्रस्तुत किया गया है।

3. द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन—पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्रदान करने के संबंध में द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :-

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	कैथोलिक डायोसिस आफ इन्डौर
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	अशाऊर्सेट पाल इंस्टीटी आफ प्रोफेशनल स्टडीज,इन्डौर
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	एमएससी०—गणित—पूर्वार्द्ध,एमए०—पूर्वार्द्ध —अंग्रेजी
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	—निरंक—
5	आदेश क्रमांक – ५८०/९९९/आउशि/ सम्बद्धता/१७ दिनांक 15/03 / 2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करने का कारण	समिति के नवीन सदस्यों के धारा 27 की अनुमोदित सूची,कालेज कोड 28 में प्राचार्य की नियुक्ति नहीं, निकटवर्ती महाठमें अग्रणी महाठ का ५० प्रतिशत प्रवेश नहीं।
6	आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा प्रथम 'रिव्यू' अमान्य करने का कारण	संस्था द्वारा कालेज कोड 28 में नियुक्तियों की संख्या 27 बताई गई है लेकिन विश्वविद्यालय की अधिसूचना नहीं है।
7	द्वितीय 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष	पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों में कालेज कोड 28 में नियुक्ति न होने के कारण

द्वितीय 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय		
आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण—पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम	—निरंक—
आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण—पत्र अनापत्ति प्रमाण—पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	एम०एससी०—गणित—पूर्वार्द्ध, एम०ए०—पूर्वार्द्ध —अंग्रेजी

4 संस्था द्वारा ई.पी.एफ. के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा नियमानुसार प्रतिमाह कटौती कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक— १३४२/१३/आउशि/सम्बद्धता/१७. भोपाल, दिनांक— ३० / ०४ / २०१७.

प्रतिलिपि :-

- 1— प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म०प्र०)।
 - 2— विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रकारों, भोपाल।
 - 3— क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, इन्डौर सभाग, इन्डौर (म०प्र०)।
 - 4— कुल सचिव, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्डौर (म०प्र०)।
 - 5— प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।
 - 6— संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य मध्यप्रदेश।
- की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

**आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुडा भवन, पॉचवीं मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004**
—:: आदेश ::—

भोपाल, दिनांक-30/04/2017.

क्रमांक- 1368/926/आजशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017-18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर से सम्बद्ध संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय/समिति) के द्वारा प्रस्तुत/विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरुद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ, जिसे इस कार्यालय के आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा निराकृत किया गया। अतः संस्था द्वारा राशि रूपये 35,000/- के चालान सहित द्वितीय 'रिव्यू' प्रस्तुत किया गया है।

3. द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :-

संख्या क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	प्रभात कांवेट शिक्षा समिति, बेडिया बडवाह खरगौन
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	अशा०केम्पस आफ बेस्ट मोरल कालेज, बेडिया
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	1-बी०ए०-प्रथम-कम्प्युटर, राजनीति विज्ञान एवं समाजशास्त्र 2-बी०एससी०-प्रथम-बाटनी, हार्डिकल्चर, सीड टेक्नो० 3-बी०एससी०-प्रथम-रसायन एवं सौइलकंजरवेशन एण्ड वाटर मैनेजमेंट 4-बी०एससी०-प्रथम-गणित, भौतिक, कम्प्य०सा०
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	—
5	आदेश क्रमांक - 578/999/आजशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करने का कारण	ईपीएफ कटोत्रा नहीं। निर्धारित समय में रूपये 15,000/- जमा नहीं किया गया है। कोड-28 में पर्याप्त नियुक्तियाँ नहीं हैं।
6	आदेश दिनांक 10/04/17 द्वारा प्रथम 'रिव्यू' अमान्य करने का कारण	कॉलेज कोड-28 में प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति नहीं है, कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

//2//

7 द्वितीय 'रिव्यू' कॉलेज कोड-28 में प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति की परीक्षण निष्कर्ष विश्वविद्यालय की अधिसूचना नहीं है।


द्वितीय 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय

आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम	—निरंक—
आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	1-बी0ए0-प्रथम-कम्प्युटर, राजनीति विज्ञान एवं समाजशास्त्र 2-बी0एससी0-प्रथम-बाटनी, हार्डिंगल्चर, सीड टेक्नो0 3-बी0एससी0-प्रथम-रसायन एवं सोइलकंजरवेशन एण्ड वाटर मैनेजमेंट 4-बी0एससी0-प्रथम-गणित, भौतिक, कम्प्युटर साइंस

4. संस्था द्वारा ई.पी.एफ. के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा नियमानुसार प्रतिमाह कटौत्रा कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।


अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक- 1369 / 926 / आउशि / सम्बद्धता / 17. भोपाल, दिनांक- 30 / 04 / 2017.
प्रतिलिपि :-

- 1-- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
 - 2-- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रकारो, भोपाल।
 - 3-- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा संभाग, इंदौर, (म0प्र0)।
 - 4-- कुल सचिव, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, (म0प्र0)।
 - 5-- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय संभाग, इंदौर, मध्य प्रदेश।
 - 6-- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य मध्यप्रदेश।
- की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुडा भवन, पॉचर्वी मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004**

—:: आदेश ::—

भोपाल, दिनांक— ३०/०४/२०१७.

क्रमांक— 1365/107/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017-18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी/सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण—पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर से सम्बद्ध संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय/समिति) के द्वारा प्रस्तुत /विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण—पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक—580/999/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरुद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ, जिसे इस कार्यालय के आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा निराकृत किया गया। अतः संस्था द्वारा राशि रूपये 35,000/- के चालान सहित द्वितीय 'रिव्यू' प्रस्तुत किया गया है।

3. द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन—पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्रदान करने के संबंध में द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में नियमानुसार निर्णय लिया जाता है :-

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	वंशपती सूती शिक्षा समिति रातीबड़ भोपाल
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	अशा० पटेल गुप्त ऑफ इंस्टी० रालामण्डल इंदौर
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	बी०कॉम स्लेन प्रथम, अति० टेक्स, कम्प्यूटर इंश्योरेंस बी०बी०ए प्रथम, बी०एस०सी प्रथम भौतिक गणित रसायन अति० बॉटनी जूलॉजी सीड टेक्नोलॉजी
4	आदेश क्रमांक — 580/999/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करने का कारण	1. समिति का धारा 27 के अधीन दिया गया प्रमाण पत्र पंजीयन कार्यालय में जमा होना नहीं पाया जाता है। 2. संलग्न भूमि परिवर्तन में सर्वे नं. 190, 192, 194 एवं 195 शैक्षणिक तकनीकी शिक्षा प्रमाण का उल्लेख है। सामान्य शिक्षा का नहीं। 3. भवन पूर्णत प्रमाण पत्र में भी न्यू टेक्नीकल इंस्टीट्यूट की स्थापना का उल्लेख है। 4. यह शैक्षणिक परिसर स्वीकृत परिसर में बताया गया है जिसमें एक से अधिक शैक्षणिक संस्थाएं

		संचालित प्रतीत होती है। अतः मार्गदर्शिका की कण्डिका (2.1.6) की धारा 6 के अनुसार प्रत्येक महारकेलिए पृथक भवन नहीं 5.20 किमी के प्रमाण पत्र में भिन्नता है।
	आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा प्रथम 'रिव्यू' अमान्य करने का कारण	धारा 27 के नवीन सदस्यों की सूची अप्राप्तभूमि भवन के दस्तावेज पूर्ण नहीं, प्रस्तुत की जानकारी अपूर्ण/अस्पष्ट है।
6	द्वितीय 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष	कमियों की पूर्ति की गई।
7	द्वितीय 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम बी0कॉम प्लेन प्रथम, अतिरिक्त टेक्स, कम्प्यूटर इंश्योरेंस बी0बी0ए प्रथम, बी0एस0सी प्रथम भौतिक गणित रसायन अतिरिक्त बॉटनी जूलॉजी सीड टेक्नोलॉजी

4 विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की संबंधित प्रदान करने के पूर्व परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति कराई जाय।

5 संस्था द्वारा ई.पी.एफ. के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा नियमानुसार प्रतिमाह कटीत्रा कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम अध्यावत रहेंगे।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक—1366/107/आउशि/सम्बद्धता/17. भोपाल, दिनांक—30/04/2017.
प्रतिलिपि :-

- 1— प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 2— विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रकार, भोपाल।
- 3— क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, इन्डौर संभाग, इन्डौर (म0प्र0)।
- 4— कूल सचिव, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्डौर (म0प्र0)।
- 5— प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।
- 6— संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य मध्यप्रदेश।

—की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

**कार्यालय,आयुक्त,उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश शासन,
सतपुडा भवन,पॉचर्वी मन्जिल,ए-बी विंग,भोपाल-462004**

—:: आदेश ::—

भोपाल, दिनांक— ३०/०४/२०१७.

क्रमांक— १३७९ /२३७/आउशि/सम्बद्धता/१७ :: महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त मध्यप्रदेश में सत्र 2017-18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पाच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,इन्डौर से सम्बद्ध संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय/समिति) के द्वारा प्रस्तुत /विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक— ५८०/९९९/आउशि/सम्बद्धता/१७ दिनांक १५/०३/२०१७ द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक १५/०३/२०१७ के विरुद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ, जिसे इस कार्यालय के आदेश दिनांक १०/०४/२०१७ द्वारा निराकृत किया गया। अतः संस्था द्वारा राशि रूपये ३५,०००/- के चालान सहित द्वितीय 'रिव्यू' प्रस्तुत किया गया है।

3. द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन—पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :—

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	सरस्वती ज्ञान मंदिर समिति,हटवडा जिला धार
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	अशाल०एस०सिद्धा कालेज,हटवडा धार
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	—निरंक—
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	1—बी०००—द्वितीय-अर्थशास्त्र ,समाजशास्त्र,हिन्दी अतिरिक्त-अर्थशास्त्र 2—बी०का००—द्वितीय/प्लेन / कम्प्यूटर 3—बी०बी००—द्वितीय
5	आदेश क्रमांक — ५८०/९९९/आउशि/ सम्बद्धता/१७ दिनांक १५/०३ / २०१७ द्वारा प्रकरण अमान्य करने का कारण	कॉलेज कोड २८ में प्राचार्य/सहायक प्राचार्यापक की पर्याप्त नियुक्ति नहीं,समिति के नवीन सदस्यों की धारा २७ की अनुमोदित सूची,वेतन भुगतान किये जाने संबंधी बैंक का विवरण पत्रक,ईपीएफ कटोत्रा के दस्तावेज।
6	आदेश दिनांक १०/०४/२०१७ द्वारा प्रथम 'रिव्यू' अमान्य करने का कारण	कॉलेज कोड २८ में विरिक्ति की पर्याप्त नियुक्ति का पत्र नहीं,धारा २७ की नवीन सदस्यों की सूची,बैंक से भुगतान का प्रमाण नहीं,ईपीएफ के दस्तावेज नहीं।

7	द्वितीय 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष	कालेज कोड 28 की कार्यवाही प्रक्रियाधीन,द्वारा 27 की सूची वैध नहीं,ईपीएफ के दस्तावेज नहीं।
8	द्वितीय 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम —निरंक—
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम 1—बी0ए0—द्वितीय—अर्थशास्त्र ,समाजशास्त्र,हिन्दी अति0वि0—अर्थशास्त्र 2—बी0काम0—द्वितीय/प्लेन / कम्प्यूटर 3—बी0बी0ए0—द्वितीय

4 संस्था द्वारा ई.पी.एफ. के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा नियमानुसार प्रतिमाह कटौती कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक—/उ३८०/२३७/आउशि/सम्बद्धता/१७. भोपाल, दिनांक—३० / ०४ / २०१७.
प्रतिलिपि :—

- 1— प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 2— विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको.भोपाल।
- 3— क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा,इन्डौर संभाग,इन्डौर (म0प्र0)।
- 4— कुल सचिव, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,इन्डौर (म0प्र0)।
- 5— प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।
- 6— संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य मध्यप्रदेश।

—की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

**आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुडा भवन, पॉचवीं मान्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004**
—:: आदेश ::—

भोपाल, दिनांक-30/04/2017.

क्रमांक-1370/256/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017-18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्डौर से सम्बद्ध संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय/समिति) के द्वारा प्रस्तुत/विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरुद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ, जिसे इस कार्यालय के आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा निराकृत किया गया। अतः संस्था द्वारा राशि रूपये 35,000/- के चालान सहित द्वितीय 'रिव्यू' प्रस्तुत किया गया है।

3. द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :-

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	श्री साईनाथ एजुकेशन सोसायटी, खण्डवा
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	अशा० किशोरीलाल वर्मा मेमोरियल कालेज, पंधाना जिला खण्डवा
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	बी०एससी०-द्वितीय-अति०वि०-हार्टिकल्चर
5	आदेश क्रमांक - 578/999/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करने का कारण	आवेदित विषयों में कोड 28 में नियुक्तियों संबंधी वि.वि. का पत्र नहीं
6	आदेश दिनांक 10/04/17 द्वारा प्रथम 'रिव्यू' अमान्य करने का कारण	कोड 28 में पर्याप्त नियुक्ति नहीं है।

//2//

7	द्वितीय 'रिव्यू' परीक्षण निर्कर्ष है।	कोड 28 में पर्याप्त नियुक्तियाँ/विश्वविद्यालय की अधिसूचना नहीं है।
8	द्वितीय 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय	

आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम	—निरंक—
आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	बी0एससी0-द्वितीय- अतिरिक्त विष्य -हार्टिकल्वर

4. संस्था द्वारा ई.पी.एफ. के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा नियमानुसार प्रतिमाह कटौत्रा कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

“आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित”

10/2016
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक— 137/256/आउशि/सम्बद्धता/17. भोपाल, दिनांक— 30/04/2017.
प्रतिलिपि :-

- 1— प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
 - 2— विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको.भोपाल।
 - 3— क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा संभाग, इंदौर, (म0प्र0)।
 - 4— कुल सचिव, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर., (म0प्र0)।
 - 5— प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय संभाग, इंदौर, मध्य प्रदेश।
 - 6— संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य मध्यप्रदेश।
- की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

10/2016
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.